सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 244 राँची, गुरुवार, 7 वैशाख, 1938 (श०)
27 अप्रैल, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

24 अप्रैल, 2017

संख्या-07/विविधि नीति-05/16-2776-- राज्य में बढ़ती जनसंख्या, जमीन तथा मकानों की कीमतों और मकान किराये में हो रही बेतहाशा वृद्धि एवं मुख्य रूप से कमजोर आय वर्ग, निम्न आय वर्ग वाले आवासविहीन व मलिन तथा अनधिकृत बस्तियों में निवासित परिवारां को आवास उपलब्ध कराने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2135 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के द्वारा "झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति-2016" निर्गत किया गया है ।

2. उक्त "झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति-2016" की कंडिका सं०-5.11 की उप कंडिका सं०-5.11.5 इस प्रकार है :-

i) All India Service officers, who have been allotted Jharkhand Cadre

ii) Members of higher and subordinate judiciary

iii) MPs/MLAs

iv) State Government employees

v) Personnel of Defence services

3. याचिका संख्या- W.P. (PIL) No.- 385/2010 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में "झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति-2016" की कंडिका-5.11.5 के उप कंडिका-(v) के बाद उप कंडिका-(vi) को निम्न प्रकार से अन्तःस्थापित किया जाता है :-

vi) **Lawyers Housing Cooperative Society**

4. उक्त कंडिका सं०-5.11.5 को स्पष्ट करते हुए उप कंडिका-(i) से (vi) में वर्णित कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (Cooperative Housing Societies) के सभी वर्ग एक समान समझे जायेंगे ।

5. संकल्प ज्ञापांक-2135 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के द्वारा निर्गत "झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति-2016" की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी ।

6. झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकाय हेतु "झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति-2016" में उपरोक्त संशोधन पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 244--100 ।